

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हिम्मत सिंह गहलोत बनाम लोक सूचना अधिकारी, (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353766101876373</p>	<p>न न तारीख अप्रील ज इरा हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>
<p>15/07/25</p>	<p>अपीलार्थी हिम्मत सिंह गहलोत निवासी सुलिया बाग चोखा वाइपास रोड, चौपासनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 08.06.2025 को कार्यालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा आदेश क्रमांक-राजस्व/धारा-177/2025/1413 दिनांक 07/05/2025 को कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपभोग करने पर राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत जो कार्यवाही की गई उसका सम्पूर्ण विवरण प्रतिलिपि से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेषपो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेषपो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेषपो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p>(अधी) प्रमुख जज उच्च न्यायालय दिल्ली, इलाहाबाद (गौरव अग्रवाल) जिला कलेक्टर, जोधपुर</p> <p>Digitally signed by Gaurav Agrawal Designation: Collector &amp; District Magistrate Date: 2025.07.15 18:16:05 IST Reason: Approved</p>	

राजकाज  
RajKaj Ref. No.:  
16570751

प्रमुख जज उच्च न्यायालय दिल्ली